**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1963**

**दिनांक 06 दिसंबर 2024 का उत्तर**

**रक्तदान कार्ड**

**1963. श्रीमती मंजू शर्मा**

**क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का विचार रक्तदाताओं को अपने परिवार के जरूरतमंद सदस्यों के लिए रक्त प्राप्त करने के अतिरिक्त मानवीय आधार पर अन्य लोगों को रक्तदान करने के लिए रक्तदान कार्ड के उपयोग की अनुमति देने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्तदाता कार्ड धारक को वर्तमान समय में किस प्रकार के संबंध के लिए रक्त प्राप्त होने की संभावना है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त केंद्रों की स्थापना करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है क्योंकि लोक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

सरकार का उद्देश्य परोपकारी सिद्धांतों के आधार पर स्वैच्छिक, गैर-पारिश्रमिक रक्तदान को बढ़ावा देना है। रक्तदान कार्ड का उपयोग रक्त-दाता के प्रथम-श्रेणी रिश्तेदारों के लिए किया जा सकता है, किन्तु गैर-रिश्तेदारों के लिए उनके उपयोग का विस्तार संभवतः रक्तदान के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित कर सकता है।

हालांकि, गैर-रिश्तेदारों के लिए डोनर कार्ड का उपयोग एक नीतिगत निर्णय है तथापि इसे राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

*****